

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी -:श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-163/2016

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र भैरु
2. भागीरथ दत्तक पुत्र बीजा
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण-

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र अर्जुन
2. शैतान पुत्र अर्जुन
3. बनवारीलाल पुत्र अर्जुन
4. गोमा पत्नी अर्जुन
5. बाबुलाल पुत्र मुरलीधर
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
8. गोपीराम पुत्र झूथाराम
9. कल्याण पुत्र झूथाराम
10. कालूराम पुत्र झूथाराम
11. प्रभात पुत्र नाथू
12. सुवालाल पुत्र कालूराम
13. प्रेम देवी पत्नि छीतरमल
14. मुकेश पुत्र छीतरमल
15. गोरधन पुत्र छीतरमल
16. सुरेश पुत्र छीतरमल
17. रामसिंह पुत्र छीतरमल
18. मंगलचन्द पुत्र चन्दा
19. बिरदीचन्द पुत्र चन्दा
20. जगदीश पुत्र चन्दा
21. घनश्याम पुत्र चन्दा
22. शान्ति पुत्री चन्दा
23. कमली पुत्री चन्दा
24. मोहन पुत्र नानूराम
25. बंशीधर पुत्र नानूराम
26. प्रकाश पुत्र कानाराम
27. देवप्रकाश पुत्र कानाराम नाबालिक संरक्षक, माता रुडी देवी
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
28. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

मं नं

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :- 28.11.2024


पत्रावली पेश हुई, वकील चादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.04.2018 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 04.05.2018 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता हाल संख्या 552 के खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 2307/4372 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2806/4432 रकबा 0.03 है0 कुल कित्ता 3 का कुल रकबा 0.82 है0 भूमि वाके ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. रामेश्वर पुत्र भैरु हिस्सा 1/2, भागीरथ दत्तक पुत्र बीजा हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 0.3450 कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 0.3450 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. रुकमा पत्नि झूंथाराम, गोपीराम कल्याण कालूराम पिता झूंथाराम हिस्सा 1/6, नारायणलाल शैतान बनवारी पिता अर्जुन हिस्सा 1/8, बाबूलाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/12, प्रेम देवी पत्नि छीतरमल मुकेश गोरधन सुरेश पिता छीतरमल हिस्सा 1/15, प्रभात पुत्र नाथू हिस्सा 1/12, सुवालाल पुत्र कालूराम हिस्सा 1/12, रामसिंह पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/60, गोमा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/24, मंगलचन्द, बिरदीचन्द जगदीश घनश्याम शान्ती कमली पिता चन्दा हिस्सा 1/6, मोहन बंशीधर पिता नानू हिस्सा 1/5, प्रकार देवप्रकाश पिता कानाराम हिस्सा 1/18 देव प्रकाश नाबा संरक्षिका जरिये माता रुडी देवी पत्नि कानाराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.3450 है0 कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 0.3450 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रुकमा पत्नि झूंथाराम, गोपीराम कल्याण कालूराम पिता झूंथाराम हिस्सा 1/12, नारायणलाल शैतान बनवारी पिता अर्जुन हिस्सा 1/16 बाबूलाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/24, प्रेम देवी पत्नि छीतरमल मुकेश गोरधन सुरेश पिता छीतरमल हिस्सा 1/30, प्रभात पुत्र नाथू हिस्सा 1/24, सुवालाल पुत्र कालूराम हिस्सा 1/24, रामेश्वर पुत्र भैरु हिस्सा 1/4, रामसिंह पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/120, गोमा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/48, मंगलचन्द, बिरदीचन्द जगदीश घनश्याम शान्ती कमली पिता चन्दा हिस्सा 1/12, मोहन

(mni)

बंशीधर पिता नानू हिस्सा 1/18, प्रकार देवप्रकाश पिता कानाराम हिस्सा 1/38 देव प्रकाश नाबा संरक्षिका जरिये माता रुडी देवी पत्नि कानाराम जाति अहीर साठ देह खातेदार को खसरा नम्बर 2307 रकबा 0.10 है, खसरा नम्बर 2806/4432 रकबा 0.03 है कुल किता 2 का कुल रकबा 0.13 है भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय) चौमूँ

डिग्री मुकदमा इत्तादाई
(ओ 20 रुल्स 8 व 7 जाभा वीवानी)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी -: श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-163/2016

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र भैरु
2. भागीरथ दत्तक पुत्र बीजा
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण-

बनाम

1. नारायणलाल पुत्र अर्जुन
2. शैतान पुत्र अर्जुन
3. बनवारीलाल पुत्र अर्जुन
4. गोमा पत्नी अर्जुन
5. बाबुलाल पुत्र मुरलीधर
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
8. गोपीराम पुत्र झूथाराम
9. कल्याण पुत्र झूथाराम
10. कालूराम पुत्र झूथाराम
11. प्रभात पुत्र नाथू
12. सुवालाल पुत्र कालूराम
13. प्रेम देवी पत्नि छीतरमल
14. मुकेश पुत्र छीतरमल
15. गोरधन पुत्र छीतरमल
16. सुरेश पुत्र छीतरमल
17. रामसिंह पुत्र छीतरमल
18. मंगलचन्द पुत्र चन्दा
19. बिरदीचन्द पुत्र चन्दा
20. जगदीश पुत्र चन्दा
21. घनश्याम पुत्र चन्दा
22. शान्ति पुत्री चन्दा
23. कमली पुत्री चन्दा
24. मोहन पुत्र नानूराम
25. बंशीधर पुत्र नानूराम
26. प्रकाश पुत्र कानाराम
27. देवप्रकाश पुत्र कानाराम नाबालिक संरक्षक, माता रुडी देवी
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
28. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला
जयपुर।

(Handwritten Signature)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम

मुकदमा नं०:-163/16

निर्णय दिनांक:- 28.11.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददर्ई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि खाता हाल संख्या 552 के खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 2307/4372 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2806/4432 रकबा 0.03 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.82 है0 भूमि वाके ग्राम तिगरिया, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. रामेश्वर पुत्र भैरु हिस्सा 1/2, भागीरथ दत्तक पुत्र बीजा हिस्सा 1/2 जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2306/1 रकबा 0.3450 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3450 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. रुकमा पत्नि झूंथाराम, गोपीराम कल्याण कालूराम पिता झूंथाराम हिस्सा 1/6, नारायणलाल शैतान बनवारी पिता अर्जुन हिस्सा 1/8, बाबूलाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/12, प्रेम देवी पत्नि छीतरमल मुकेश गोर्धन सुरेश पिता छीतरमल हिस्सा 1/15, प्रभात पुत्र नाथू हिस्सा 1/12, सुवालाल पुत्र कालूराम हिस्सा 1/12, रामसिंह पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/60, गोमा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/24, मंगलचन्द, बिरदीचन्द जगदीश घनश्याम शान्ती कमली पिता चन्दा हिस्सा 1/6, मोहन बंशीधर पिता नानू हिस्सा 1/5, प्रकार देवप्रकाश पिता कानाराम हिस्सा 1/18 देव प्रकाश नाबा संरक्षिका जरिये माता रुडी देवी पत्नि कानाराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2306 रकबा 0.3450 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.3450 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रुकमा पत्नि झूंथाराम, गोपीराम कल्याण कालूराम पिता झूंथाराम हिस्सा 1/12, नारायणलाल शैतान बनवारी पिता अर्जुन हिस्सा 1/16 बाबूलाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/24, प्रेम देवी पत्नि छीतरमल मुकेश गोर्धन सुरेश पिता छीतरमल हिस्सा 1/30, प्रभात पुत्र नाथू हिस्सा 1/24, सुवालाल पुत्र कालूराम हिस्सा 1/24, रामेश्वर पुत्र भैरु हिस्सा 1/4, रामसिंह पुत्र छीतरमल हिस्सा 1/120, गोमा पुत्र अर्जुन हिस्सा 1/48, मंगलचन्द, बिरदीचन्द जगदीश घनश्याम शान्ती कमली पिता चन्दा हिस्सा 1/12, मोहन बंशीधर पिता नानू हिस्सा 1/18, प्रकार देवप्रकाश पिता


(मंन)



कानाराम हिस्सा 1/36 देव प्रकाश नाबा संरक्षिका जरिये माता रुडी देवी पत्नि कानाराम जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2307 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 2806/4432 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.13 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
 फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें
 बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.11.2024 को जारी किया गया ।

मोहर


 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1	2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड		3	

